

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :-

हरफूल सिंह यादव (आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, धौलपुर

अपील नम्बर 12/2018

उनवान प्रकरण

रणधीर पुत्र लाखनसिंह जाति ठाकुर निवासी पिपरौआ तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ जिला धौलपुर

.....रेस्पोजेण्ट



अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 15.01.2018
मु0नं0 04/2018 सरकार बनाम रणधीर
अन्तर्गत धारा 91 एलआरएक्ट न्यायालय
तहसीलदार सैपऊ

उपस्थिति :-

अपीलान्ट की ओर से
रेस्पोजेण्ट की ओर से

:- श्री हरिवीर सिंह एडवोकेट
:- श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 20.06.2018

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 347 रकवा 16 विस्वा में से 2 विस्वा किस्म गैर मुमकिन पोखर, 1250 रकवा 3 बीधा में से 5 विस्वा किस्म बारानी प्रथम, 1306 रकवा 5 वीधा 11 विस्वा में से 5 विस्वा किस्म गैर मुमकिन शमसान, 1333 रकवा 16 वीधा 8 विस्वा में से 4 बीधा किस्म न.दो. 1393 रकवा 3 वीधा 3 विस्वा में से 10 विस्वा किस्म न.दो. बॉके ग्राम पिपरौआ तहसील सैपऊ में संरसों व गेहूँ की फसल बोककर सम्बत 2074 रवी में पश्चातवर्ति अतिकमी मानते हुये उक्त आराजी से बेदखल कर लगान की 50 गुना शास्त्री अधिरोपित कर तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का आदेश दिनांक 15.01.2018 को पारित किया हैं जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलान्ट पर नहीं हुई। नोटिस पर तामील कुनिन्दा द्वारा किसी के फर्जी हस्ताक्षर कराये गये है उन्ही फर्जी हस्ताक्षरों पर अपीलान्ट की तामील मानली है। इस प्रकार अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य समाअत करने का अवसर प्रदान किये बिना अपीलान्धीन

(2)

न्या०अति.जिला कलक्टर धौ
वमुक: रणधीर बनाम सरकार
अपील संख्या 12/2018

निर्णय पारित किया है। अपीलान्त भूमिहीन कृषक है जिसका विवादग्रस्त आराजी पर 15 वर्ष से अधिक समय से कब्जा है। अपीलान्त ने विवादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा छोड़ दिया है एवं भविष्य में कब्जा नहीं करेगा। इस आशय का शपथ पत्र अपील के साथ प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का किसी प्रकार पालन नहीं किया है तथा अपीलान्त को बिना सुने निर्णय पारित किया है जो विधि विरुद्ध होने के कारण काबिल निरस्ती है। अपीलान्त ने अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने तथा सिविल कारावास की सजा को माफ किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील अपीलान्त दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोंडेण्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस हेतु नियत की गई।

बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित बिन्दुओं दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्त को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफा आदेश पारित किया है। अपीलान्त ने उक्त विवादित आराजी से अपना कब्जा छोड़ दिया है तथा भविष्य में वह उक्त आराजी पर कब्जा नहीं करेगा वर्तमान में अपीलान्त का कोई कब्जा नहीं है। उक्त कथनों के समर्थन में अपीलान्त रणधीर सिंह ने अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में सजा के बिन्दु को माफ करने हेतु निवेदन किया।

रेस्पोंडेण्ट के विद्वान अभिभाषक पैरोकार सरकार ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्त बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। उसके द्वारा इससे पूर्व भी विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया था जिसे बेदखल किया गया था। अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है, वह सही है। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जावे।

हमने अभिभाषक उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अपीलान्त ने आराजी खसरा नम्बर 347 रकवा 16 विस्वा में से 2 विस्वा किस्म गैर मुमकिन पोखर, 1250 रकवा 3 बीधा में से 5 विस्वा किस्म बरानी प्रथम, 1306 रकवा 5 वीधा 11 विस्वा में से 5 विस्वा किस्म गैर मुमकिन शमसान, 1333 रकवा 16 वीधा 8 विस्वा में से 4 बीधा किस्म न.दो. 1393 रकवा 3 वीधा 3 विस्वा में से 10 विस्वा किस्म न.दो. बाँके ग्राम पिपरौआ तहसील सैपऊ में संरसों व गेहूँ की फसल बोकर सम्बत 2074 रवी मे नाजायज अतिक्रमण किया जाना सावित है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी सावित है कि अपीलान्त ने इससे पूर्व भी विवादित आराजी पर अतिक्रमण किया था तथा बार बार अतिक्रमण करने का आदि हैं। पुनः नाजायज कब्जा किये जाने पर अतिक्रमी पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी मे आता है। अपीलान्त ने वहस

अति० जिला कलक्टर


(3)

न्या०अति.जिला कलक्टर धौ०
वमुक: रणधीर बनाम सरकार
अपील संख्या 12/2018

में यह कथन किया है कि अपीलान्त ने विवादित आराजी से अपना अतिक्रमण हटा लिया है तथा भविष्य में वह उक्त विवादित आराजी पर अतिक्रमण नहीं करेगा इस आशय का उसने अपना शपथ पत्र भी इस न्यायालय को प्रस्तुत किया है।

अतः तहसीलदार सैपऊ को यह आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलान्त ने विवादित आराजी से अपना अतिक्रमण हटा लिया तथा भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने बावत तहसीलदार सैपऊ मौके का सत्यापन करने पर अपीलान्त द्वारा कब्जा छोडना पाते है एवं सम्बत 2075 में अपीलान्त का अतिक्रमण नहीं पाया जावे तो तहसीलदार सैपऊ द्वारा प्रकरण संख्या 04/2018 उनवानी सरकार बनाम रणधीर मे पारित निर्णय दिनांक 15.01.2018 में अपीलान्त को दी गई तीन माह के सिविल कारावास की सजा को माफ किया जाता है शेष निर्णय यथावत रखा जाता है। यदि अपीलान्त द्वारा विवादित आराजी से कब्जा हटाया नहीं पाया जावे एवं सम्बत 2075 में अपीलान्त का कब्जा पाया जावे तो अपीलान्त के सिविल कारावास की सजा यथावत रहेगी। अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम जी जावें। इस निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(हरफूल सिंह यादव)
अति० जिला कलक्टर
धौलपुर (राज०)